



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3047 वर्ष 2026

अनुराग आशीष
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	अमित कुमार मिश्रा, राम सेवक	प्रतिवादी(यों)	के
अधिवक्ता :	सीएससी		

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने और संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है।
- की गई प्रार्थना स्वीकृत की जाती है।
- याचिका को अनुरोध के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करते हुए खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया) 5

फरवरी, 2026
प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"